"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2017—ज्येष्ठ 12, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 409/LV-1-72-2017/1-8/स्था.—श्री अरज लाल, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6), को दिनांक 06-02-2017 से 10-02-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरज लाल, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

3. अवकाश अवधि में श्री अरज लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरज लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 417/LV-38-14-2017-Feb./1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, को दिनांक 08-01-2017 से 22-01-2017 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती दुर्गा देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दुर्गा देवांगन अवकाश पर नही जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक 455/LV-7-14-2017-Jan./1-8/स्था.—श्री के.सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, को दिनांक 20-02-2017 से 23-02-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक 711/LV-32-43-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का दिनांक 05-04-2017 से 13-04-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल. सांकला, आगामी आदेश तक अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. एल. सांकला, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एल. सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक 719/LV-34-21-2017-March./1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का दिनांक 10-04-2017 से 13-04-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. पुरबिया, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2017

क्रमांक 727/LV-4-96-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री नीरज कुमार मिश्रा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग का दिनांक 17-04-2017 से 22-04-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार मिश्रा, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार मिश्रा, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 02 मई 2017

क्रमांक 733/1067/अव./2015/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. छबलानी, प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. एवं विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का दिनांक 26-12-2016 से 31-12-2016 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. छबलानी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. छबलानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. छबलानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 03 मई 2017

क्रमांक 737/LV-20-110-2017-Apr../1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार भटनागर, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का दिनांक 10-04-2017 से 13-04-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार भटनागर, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार भटनागर, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 03 मई 2017

क्रमांक 769/LV-7-39-2017-March../1-8/स्था.—श्रीमती आरती वासनिक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, का दिनांक 10-04-2017 से 29-04-2017 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती आरती वासनिक, आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती आरती वासनिक, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आरती वासनिक, अवकाश पर नही जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्रमांक 729/LV-1-299-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री जीवन सिंह राजपूत, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) का दिनांक 18-04-2017 से 20-04-2017 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जीवन सिंह राजपूत आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकश अवधि में श्री जीवन सिंह राजपूत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जीवन सिंह राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक/1944/2017/11/(6).—इंडियन बॉयलस एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमि. नरीयरा जिला-जांजगीर-चांपा के बॉयलर क्रमांक-सी.जी./611 को दिनांक 16-09-2017 से 30-09-2017 (15 दिवस) तक एवं बॉयलर क्रमांक सी.जी./612 को दिनांक 19-05-2017 से 03/09/2017 (तीन माह 15 दिवस) तक

निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

गृह–सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2017 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ–09–57/गृह–सी/परीक्षा/2017.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा मंगलवार, दिनांक 01 अगस्त, 2017 से 08 अगस्त, 2017 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 01-08-2017

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू–अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया–उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

मंगलवार, दिनांक 01-08-2017

(1)	(2)	(3)
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 01-08-2017	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 02-08-2017	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

बुधवार, दिनांक 02-08-2017

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	गुरुवार, दिनांक 03-08-2017	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	गुरुवार, दिनांक 03-08-2017	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	

गुरुवार, दिनांक 03-08-2017

(1)	(2)	(3)
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शुक्रवार, दिनांक 04-08-2017	
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 04-08-2017

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 05-08-2017	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 05-08-2017	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	रविवार, दिनांक 06-08-2017 एवं सोमवार, दिनांक 07-08-2017 को शासकीय अवकाश	
	मंगलवार, दिनांक 08-08-2017	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2017 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्रमांक/162/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. 07/अ/82 वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	कुकुरदी	11	3.560	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-03-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन-कुकुरदी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 व्यक्ति
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	3.560 हे.
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
आठ	परियोजना की कुल लागत	—	7,03,14,491.00
नौ	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन की सुविधा
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख रुपये
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक/4328/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	बकोरी	1.04 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-बकोरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-05-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत मड़ेली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-बकोरी.
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक/4330/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	मड़ेली	0.19 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-मड़ेली

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-05-2017 को प्रात: 11.00 बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत मड़ेली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-मड़ेली
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक/4332/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	सोनपैरी	1.44 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-सोनपैरी

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-05-2017 को प्रात: 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-सोनपैरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-सोनपैरी
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक/4334/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	बनियातोरा	1.56 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-बनियातोरा

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-05-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-सोनपैरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-बनियातोरा.
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक/4336/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	भैंसमुड़ी	1.72 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-भैंसमुड़ी

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-05-2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय-तहसीलदार तहसील मगरलोड में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-भैंसमुड़ी.
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक/4338/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	मगरलोड	मगरलोड	1.234 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन ग्राम-मगरलोड

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-05-2017 को प्रात: 11.00 बजे कार्यालय तहसीलदार तहसील मगरलोड में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-मगरलोड.
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	31
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. भू-अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रु. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है. अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, बस्तर जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/2014-15.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम घाटपदमुर, प.ह.नं.-02, तहसील जगदलपुर, जिला-बस्तर की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा :—

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है, यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ब्यौरा दें.
(1)	(2)	(3)
01.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्अनुसार आज दिनांक 1-5-2017 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

जगदलपुर, दिनांक 5 मई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2014-15.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम पंडरीपानी, प.ह.नं.-12, तहसील जगदलपुर, जिला-बस्तर की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा :—

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है, यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ब्यौरा दें.
(1)	(2)	(3)
01.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.

(1)	(2)	(3)
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्अनुसार आज दिनांक मई 2017 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

जगदलपुर, दिनांक 5 मई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2014-15.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम परपा, प.ह.नं.-13, तहसील जगदलपुर, जिला-बस्तर की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा :—

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है, यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ब्यौरा दें.
(1)	(2)	(3)
01.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्अनुसार आज दिनांक मई 2017 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक/6563/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिरहाभाँठा प.ह.नं. 40	0.080	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक/6565/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह प.ह.नं. 37	0.052	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक/6567/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पलसदा प.ह.नं. 40	2.933	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक/6569/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चंदली प.ह.नं. 40	2.771	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक/6571/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरौली प.ह.नं. 35	4.174	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्रमांक/6573/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भैंसामुहान प.ह.नं. 39	2.585	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	छुहीपाली प.ह.नं. 23	3.433	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डीनाला व्यपवर्तन योजना के नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सिरौली प.ह.नं. 23	0.612	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डीनाला व्यपवर्तन योजना के नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	डौकीजोर प.ह.नं. 23	0.465	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डीनाला व्यपवर्तन योजना के नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घाटपदमुर, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.02
18	0.02
19	0.02
20	0.08
22	0.03
23	0.03
24/1	0.02
25	0.02
26	0.02
27	0.02
28	0.02
29/3	0.01
30	0.02
32	0.02
33	0.03
34	0.03
233	0.10
234	0.05
235	0.06
236	0.58

	(1)	(2)
	237	0.04
	254	0.08
	256	0.07
	257	0.04
	258	0.07
	259	0.06
	260	0.04
	572	0.17
योग	29	1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाटपदमुर-कुड़कानार मार्ग के कि.मी. 2/6 पर इन्द्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर तथा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 5 मई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	263/1	0.08
	231	0.09
	228	0.01
	283/1	0.05
	230	0.05
योग	5	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर तथा उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), पूर्वी तट रेलवे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 5 मई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परपा, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	112	0.08
योग	1	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर तथा उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), पूर्वी तट रेलवे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्रमांक 1310/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-अमझर, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.577 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	132	0.080
	133	0.020
	134	0.008
	142	0.064
	143/1	0.020
	143/2	0.040
	143/3	0.020
	143/4	0.016
	143/5	0.020
	144	0.024
	145	0.028
	146	0.243
	148/1	0.057
	148/2	0.053
	148/3	0.053
	149/1	0.040
	149/2	0.036
	152	0.012
	153/1	0.138
	153/2	0.045
	154	0.045
	155	0.052
	156	0.012
	186	0.016
	188/1	0.202
	188/2	0.073
	189	0.020
	190/1	0.004
	190/2	0.024
	190/3	0.028
	206	0.060
	208	0.024
योग	32	1.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन कुदरी बैराज के अंतर्गत डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2017

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मदनपुर, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
225/1ग	0.223
228/1, 229/1	0.150

	(1)	(2)
	228/2, 229/2	0.154
	228/3, 229/3	0.150
	228/4, 229/4	0.154
योग	05	0.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुदरी बैराज के तहत् डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./04/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-धौराकोट, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.25
22/2	0.15
22/1	0.13
94	0.15
98	0.04
97	0.02
99	0.01
100	0.21
101	0.02
183/1	0.08
170	0.08
171	0.11
169	0.16
135	0.16
136	0.20
137	0.01
139	0.20
140	0.05
141	0.08
142	0.18
147	0.05
149	0.01
148/1	0.12
145	0.37
260	0.03
261	0.12
400/1	0.07
374/3	0.02
395	0.01
397	0.25
374/1	0.26
372	0.12
394	0.08
392	0.03
398	0.05
399	0.05
401/2	0.07
472	0.02
471	0.01
470	0.03
604	0.18
607	0.20
609	0.12
613	0.02
614	0.13
621/1	0.10
621/2	0.09
620	0.12
626	0.15

	(1)	(2)
	641	0.01
	640	0.24
	643	0.10
	645/2	0.18
	645/3	0.07
	655	0.12
	658	0.15
	654	0.35
	214	0.20
	216	0.18
	217/3	0.37
	217/2	0.13
	219	0.07
	220/1	0.08
	220/2	0.09
	523	0.10
	526	0.14
	527	0.09
	528	0.01
	529	0.04
	531/706	0.05
	552	0.40
	553	0.22
	558/3	0.04
	554	0.04
	557	0.18
	560	0.34
	561	0.09
योग	77	9.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-उरमाल जल प्लावन योजना के शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./02/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-मगररोडा, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10	0.01
	11	0.18
	88/1	0.10
	88/2	0.04
	89	0.10
	139	0.03
	90	0.01
	91	0.22
	92	0.10
	93	0.15
	86	0.05
	82	0.14
	80	0.03
	81	0.30
	97	0.16
	107	0.03
	108	0.15
	106	0.10
	125/2	0.14
	126	0.12
	134	0.08
	132	0.22
	138	0.16
योग	23	2.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-उरमाल जल प्लावन योजना के शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सितलीजोर, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	346/1	0.22
	347	0.12
	348/1	0.04
	348/2	0.04
	348/3	0.06
	431	0.23
	433	0.40
	454/1	0.11
	455/1	0.03
	455/2	0.03
	419/3	0.06
	425/2	0.01
	455/3	0.03
	419/4	0.15
	425/3	0.04
	455/4	0.03
	419/5	0.05
	425/4	0.04
	457	0.05
	458/1	0.01
	459/1	0.04
	458/2	0.01
	459/2	0.05
	459/4	0.04
	459/3	0.04
	460	0.03
	415/1	0.07
	415/2	0.07
	414/1	0.03
	416	0.08
	419/6	0.04
	419/1	0.01
	426	0.06
	428/1	0.44
	432	0.12
	434	0.12
	435	0.11
	322	0.15
योग	38	3.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-उरमाल जल प्लावन योजना के शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./10/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-चलनापदर, प.ह.नं. 92
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	210	0.08
	215	0.07
	209	0.09
	212	0.15
	214/1	0.14
	214/2	0.10
	214/3	0.06
	217	0.03
	183	0.25
	184	0.01
	181	0.12
	180	0.10
	178	0.10
	134/2	0.24
	128/1	0.09
	128/2	0.08
	125	0.09
योग	17	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चलनापदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सागोनबाड़ी, प.ह.नं. 11/85
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	78	0.06
	77	0.02
	81	0.05
	82	0.04
	83	0.07
	90	0.17
योग	06	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-तेलनदी जल प्लावन योजना के शाखा नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-गोहरापदर, प.ह.नं. 92
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	518/1	0.01
	518/2	0.02
	504	0.33
	505	0.24
योग	04	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चलनापदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. 570/भू.अभि./स.अ.भू.अ./17.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-1-08/2015/सात-4 नया रायपुर दिनांक 26-08-2016 एवं पत्र क्रमांक एफ-1-08/2015/सात-4 नया रायपुर दिनांक 27-09-2016 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ-08/2015/सात-4 नया रायपुर दिनांक 17-02-2017 द्वारा पटवारी हल्कों का पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आर शंगीता, कलेक्टर जिला-दुर्ग एतद्द्वारा तहसील धमधा एवं पाटन के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तथा नगर निगम भिलाई-चरोदा एवं नगर पालिका कुम्हारी में नवीन पटवारी हल्का पुनर्गठन निम्न सुची में दर्शाए गए अनुसार अधिसूचित करती हूं :—

तहसील-धमधा

विद्यमान पटवारी हल्के का		सृजित (प्रस्तावित) नवीन पटवारी हल्के का			सृजन पश्चात् पुराने पटवारी हल्के की स्थिति	
पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	मुख्यालय का नाम	पुराना पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	शेष ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 रौंदा	नवागांव साल्हेखुर्द रौंदा कोनका	54	गोरपा भिलौरी नवागांव कोनका	गोरपा	1 रौंदा	रौंदा साल्हेखुर्द
2 पेंड्रावन	गोरपा परसकोल पेंड्रावन भिलौरी				2 पेंड्रावन	पेंड्रावन परसकोल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 पेन्डरी (कु.)	अकोली कुटहा ठेलका पगबंधी पेन्डरी (कु.)	55	अकोली ठेलका अछोली	अकोली	4 पेन्डरी (कु.)	पेन्डरी (कु.) कुटहा पगबंधी
15 घोठा	अछोली घोठा पेन्डी बिरेभाट रुहा हिरेतरा				15 घोठा	घोठा रुहा पेन्डी सुखरीखुर्द
16 घोटवानी	खैरझीटी घोटवानी धूमा भाटाकोकड़ी मुड़पार	56	खैरझीटी हिरेतरा बिरेभाट	खैरझीटी	16 घोटवानी	भाटाकोकड़ी मुड़पार घोटवानी धूमा
17 अरसी	अरसी सुखरीकला सुखरीखुर्द				17 अरसी	अरसी सुखरीकला
19 लिटिया	चिखला जोगीगुफा लिटिया सेमरिया हसदा	57	हसदा चिखला बिरेझर	हसदा	19 लिटिया	लिटिया सेमरिया जोगीगुफा
20 हिर्री	खर्रा बिरेझर हिर्री				20 हिर्री	हिर्री खर्रा रौता
21 टेमरी	टेमरी पोटिया रौता सेवती				21 टेमरी	टेमरी पोटिया सेवती
34 ठेंगाभाट	छिराही टठिया ठेंगाभाट मोहलई	58	धौराभाटा छिराही तरकोरी	धौराभाटा	34 ठेंगाभाट	मोहलई टठिया ठेंगाभाट
35 मोहरेंगा	तरकोरी धौराभाटा मोहरेंगा				35 मोहरेंगा	मोहरेंगा खजरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36 पेण्डीतराई	कंदई कोकड़ी खजरी पेण्डीतराई				36 पेण्डीतराई	कंदई कोकडी पेण्डीतराई

तहसील–पाटन

विद्यमान पटवारी हल्के का		सृजित (प्रस्तावित) नवीन पटवारी हल्के का			सृजन पश्चात् पुराने पटवारी हल्के की स्थिति	
पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	मुख्यालय का नाम	पुराना पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	शेष ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सिरसाकला	सिरसाकला चरोदा देवबलोदा	57	चरोदा	चरोदा	02 सिरसाकला	सिरसाकला देवबलोदा
3 उरला	उरला कुकदा				03 उरला	उरला
4 पाहंदा	पाहंदा परसदा				04 पाहंदा	पाहंदा
	मगरघटा भोथली	58	मगरघटा भोथली	मगरघटा		
42 बीजाभाठा	बीजाभाठा घोरारी	59	परसदा कुकदा	परसदा	42 बीजाभाठा	बीजाभाठा घोरारी
	झाडमोखली रेंगाकठेरा डिडगा	60	रेंगाकठेरा झाडमोखली डिडगा	रेंगाकठेरा		

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक/52/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./2017.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 7 की धारा 68,69,70,72,73 एवं सहपठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं आर. शंगीता कलेक्टर जिला दुर्ग एतद्द्वारा तहसील दुर्ग रा.नि.मं. अण्डा प.ह.नं.–43 के ग्राम बोरीगारका के आंतरिक क्षेत्रफल को अपवर्जित कर करगाडीह को पृथक राजस्व ग्राम अधिसूचित करती हूं.

स. क्र.	भूमि मदवार	करगाडीह
(1)	(2)	(3)
1.	ग्राम का रकबा	219.762 हे.

(1)	(2)	(3)
2.	ग्राम का मकबूजा रकबा	180.912 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	38.850 हे.
4.	आबादी भूमि का रकबा	5.96 हे.
5.	ग्राम की जनसंख्या	1135
6.	मवेशी संख्या	977

उपरोक्तानुसार नवीन ग्राम करगाडीह का क्षेत्रफल ग्राम बोरीगारका से अपवर्जित करने के पश्चात् ग्राम बोरीगारका में निम्नानुसार क्षेत्रफल रहेगा.

स. क्र.	भूमि मदवार	बोरीगारका
(1)	(2)	(3)
1.	ग्राम का रकबा	440.548 हे.
2.	ग्राम का मकबूजा रकबा	361.958 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	78.590 हे.
4.	आबादी भूमि का रकबा	10.66 हे.
5.	ग्राम की जनसंख्या	1391
6.	मवेशी संख्या	1566

आर. शंगीता,
कलेक्टर.